## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2010/डी- 1291 दिनांकः 14/7/10

## कार्यवाही विवरण

विषयः- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 98 वीं बैठक दिनांक 09.07.2010 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | विवरण | निर्णय | अनुपालना |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98.1 | बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 97वीं बैठक दिनांक 18.06.2010 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा। | बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 97वीं बैठक दिनांक 18.06.2010 को सम्पन्न हुई, एजेण्डा संख्या 97.7 में पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 171-172 के स्थान पर त्रुटिवश पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 172-173 अंकित हो गया था। इसे पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 171-172 लायन्स लेन, खातीपुरा रोड, जयपुर पढा जावे। शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। | |
| 2. | 98.2 | भूखण्ड संख्या एफ-2, आम्रपाली सर्किल वैशाली नगर, जयपुर में निर्मित एवं प्रस्तावित सांस्थानिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः-<br>1. आवेदक द्वारा 2 बेसमेंट+भूतल+3 तलों से ऊपर चार तलों का प्रस्ताव दिया गया है तथा सैटबैक पूर्व अनुमोदन अनुसार ही प्रस्तावित है। भवन विनियम 19.4 में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व में दिये गये अनुमोदित निर्माण पर नया तल/कमरे बनाना चाहता है तो उसे पूर्व में निर्धारित सैटबैक्स के अन्दर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इन विनियमों के अनुज्ञेय एफएआर से अधिक नहीं होगी। आवेदक द्वारा एफएआर वर्तमान में अनुज्ञेय एफएआर सीमा में प्रस्ताव दिया गया है। अतः अनुज्ञेय किया जावे। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे।<br>3. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।<br>निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जावे। | |
| 3. | 98.3 | खसरा नम्बर 7093/1, 7100 व 7098/1, ग्राम चौमू जयपुर के प्रस्तावित हॉस्पीटल भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि जोन द्वारा जारी स्थल मानचित्र में अंकित भूखण्ड क्षेत्रफल की पुनः जांच की जाकर रिपोर्ट दी जावे, तब तक प्रकरण स्थगित रखा जावे। | |
| 4. | 98.4 | भवन मानचित्र प्रकोष्ठ में लंबित प्रकरणों के संबंध में। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र प्रकोष्ठ में लम्बित 2 प्रकरणों में आवेदक को कमियों बाबत् सूचित किया जा चुका है व स्मरण पत्र भी जारी किये गये हैं। अतः इन दोनों प्रकरणों को निरस्त करते हुए दफ्तर दाखिल किया जावे। | |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

14/7/10

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

**परिशिष्ट–"1"**

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 98 वीं बैठक दिनांक 09.07.2010 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुधांश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती गायत्री ए. राठौड़, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. | श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. | श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर | सदस्य सचिव |

**विशेष आमंत्रित :–**

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस. मित्रा उपायुक्त जोन–7 जयपुर।
3. श्री प्रकाश शर्मा, उपायुक्त जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती नर्मदा इन्दोरिया, विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक (बीपीसी–बीपी) जविप्रा, जयपुर

14/7/10

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2010/डी–1291 दिनांक :14/7/10

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–............., जविप्रा, जयपुर।
7. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

14/7/10

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।